राजस्थान सरकार
अल्पसंख्यक मामलात विभाग

राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर

राजस्थान मदरसा बोर्ड भवन, डॉ. एस राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर फोन नं0. 0141-2702477, 2702528
www.minority.rajasthan.gov.in/madarsaboard
www.minority.rajasthan.gov.in

विज्ञप्ति

मदरसा जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत मदरसों के आधारभूत संरचना के विकास हेतु जनसहभागिता के आधार पर मदरसों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10.00(दस लाख रू.) (40प्रतिशत जनसहभागिता राशि सहित) स्वीकृत किए जाने हैं। जनसहभागिता योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्यो की स्वीकृति जारी की जाएगी। अतः इच्छुक मदरसा संस्थाए दो माह में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाएं। जनसहभागिता योजना का विस्तृत विवरण राजस्थान मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाईट पर देखा जा सकता हैं।

(मोहम्मद सलीम खान)
सचिव

सचिव
राजस्थान मदरसा बोर्ड
जयपुर

माननीय मुख्यमंत्री महोदया की वर्ष 2017–18 की बजट घोषणा बिन्दु संख्या–177 की क्रियान्विति अन्तर्गत "मुख्यमंत्री मदरसा जन सहभागिता योजना" हेतु दिशा–निर्देश।

1. प्रस्तावना :

राजस्थान राज्य में 3202 मदरसे संचालित हैं। राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का अलख जगाने हेतु इन मदरसों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांश मदरसे मुस्लिम समाज द्वारा संचालित हैं, जिनके आय के श्रोत अत्यल्प होने के कारण मदरसों के आधारभूत हालात अत्यन्त चिन्ताजनक हैं।

राज्य सरकार की नीति के अनुरूप मदरसों के आधारभूत संरचना के विकास में जन–सहयोग के साथ कार्य करने के उद्देश्य से माननीया मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017–18 के बजट मे **"मदरसा जन सहभागिता योजना"** की घोषणा की है। यह योजना निम्न रूप से संचालित की जाएगी।

2. परिभाषा :–

इस योजना में वर्णित निम्न शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा –

(i) बोर्ड का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर" से है।
(ii) अध्यक्ष का आशय "अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड" से है।
(iii) राज्य सरकार का आशय "राजस्थान सरकार से है"
(iv) मदरसे का आशय "राजस्थान मदरसा बोर्ड में पंजीकृत कैटेगरी–ए मदरसे" से है।
(v) योजना का आशय " मदरसा जन सहभागिता योजना" से है।

3. उद्देश्य : –

इस योजना को संचालित करने के निम्न उद्देश्य है –

(i) मदरसों के आधारभूत संरचना विकास में जन भागीदारी को प्रोत्साहन देना।
(ii) मदरसों में कक्षा कक्ष के निर्माण कार्य मय बरामदा (विद्युत फिटिंग, पंखे ट्यूब लाईट सहित) एवं पीने के पानी, शौचालय एवं गंदे पानी के निकास की व्यवस्था के प्रस्तावों को प्रथम प्राथमिकता प्रदान करते हुए स्वीकृति जारी करना।
(iii) द्वितीय प्राथमिकता में परिशिष्ट में वर्णित कार्यों के क्रमानुसार वरियता प्रदान करते हुए प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति प्रदान करना।

4. योजना का संक्षिप्त विवरण :

(i) मदरसा जन सहभागिता योजना के तहत जन सहभागिता के रूप में स्थानीय समुदाय/सामाजिक संगठन/गैर सरकारी संस्थान/ट्रस्ट/पंजीकृत संस्थान/व्यक्तिगत दानदाता आदि वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेंगे।

(ii) जन सहयोग से 40 प्रतिशत राशि प्राप्त होने पर 60 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) इच्छुक पंजीकृत मदरसा प्रबंधन समिति प्रस्तावित कार्य के अनुमानित तकमीना एवं जन सहभागिता की 40 प्रतिशत राशि मदरसा प्रबंधन समिति के बैंक खाते में जमा होने के साक्ष्य सहित आवेदन मदरसा बोर्ड में प्रेषित कर प्रस्तावित कार्य का पंजीकरण करवा सकती है।

(iv) प्रस्ताव में भू–स्वामित्व, मदरसे के नाम होना अनिवार्य होगा।

5. <u>पंजीकृत प्राप्त आवेदनों की चयन प्रक्रिया</u> :

(i) मदरसे को योग्य पाए जाने पर सहयोग राशि स्वीकार करते हुए योजना के तहत कियान्वयन की कार्यवाही की जावेगी। इस हेतु मदरसों के चयन के लिए अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड की अध्यक्षता मे समिति गठन की जाएगी। सचिव, मदरसा बोर्ड, निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के नामित उप निदेशक एवं लेखाधिकारी, मदरसा बोर्ड सदस्य होंगे।

(ii) उक्त चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों की जाँच की जाएगी एवं सही पाये जाने पर मदरसा बोर्ड द्वारा आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मदरसा बोर्ड द्वारा जारी की जायेगी।

(iii) मदरसा बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से उपलब्ध बजट की सीमा तक ही स्वीकृत किया जाएगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहयोग आधारभूत संरचना हेतु खर्च किया जाएगा।

6. <u>जन सहभागिता कोष</u> :

राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों की स्थिति सुदृढ न होने से किसी संगठन / व्यक्ति विशेष / सामूहिक रूप से जन सहयोग से प्राप्त राशि ***"जन सहभागिता कोष"*** के नाम से मदरसा बोर्ड स्तर पर पृथक से संधारित किया जाएगा। इस हेतु पृथक से बैंक खाता खोला जाएगा, जिसका संचालन अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। यदि इच्छुक एवं पात्र मदरसा पैरा 4 (iii) के अनुरूप जन सहभागिता राशि का योगदान करने में असमर्थ हो, तो उस स्थिति में उक्त "जन सहभागिता कोष" से 40 प्रतिशत राशि का योगदान जन सहभागिता के रूप में किया जा सकेगा। पैरा 5 (i) में वर्णित समिति इस प्रकार के आवेदनों की जाँच कर उचित निर्णय लिये जाने हेतु सक्षम होगी।

7. <u>योजना का क्रियान्वयन एवं राशि का विमोचन</u> :

(i) मदरसा बोर्ड द्वारा उक्त योजना की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जिसकी सूचना मदरसा बोर्ड एवं अल्पसंख्यक मामलात विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी जायेगी। आवेदन प्राप्ति हेतु 2 माह का समय दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड योजना का अपेक्षित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेगा।

(ii) उक्त योजनान्तर्गत 01 मदरसे को एक वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक राशि रू. 10.00 लाख (40 प्रतिशत जन सहभागिता राशि सहित) का कार्य स्वीकृत किया जा सकेगा। विशेष मामलों में अध्यक्ष, मदरसा बोर्ड द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अधिक राशि के कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे। प्रत्येक आवेदन का पंजीयन किया जाएगा एवं "पहले आओ, पहले पाओ" के आधार पर वरियता अनुसार कार्यों की स्वीकृति जारी की जाएगी।

(iii) मदरसा बोर्ड द्वारा लेखा संधारण प्रत्येक मदरसावार किया जाएगा एवं इसके लिए एक नियंत्रण पंजिका संधारित की जाएगी।

(iv) योजना अन्तर्गत, कार्यकारी एजेन्सी मदरसा प्रबंधन समिति होगी। स्थानीय स्तर पर निर्माणाधीन कार्यों की देख–भाल के लिए गठित मोनटरिंग समिति में सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सम्बन्धित मदरसे के सचिव एवं रमसा के सम्बन्धित अभियन्ता सदस्य होंगे। निर्माण कार्य रमसा के अभियन्ता की देख–रेख में कराया जाएगा।

(v) मदरसा प्रबन्धन समिति, जन सहभागिता के प्रस्ताव, एस्टीमेट व डिजाइन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण/अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रेषित करेंगें। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान, अपनी तकनीकी शाखा से उक्त प्रस्ताव का परीक्षण करवा कर अपनी अभिशषा के साथ सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर को भिजवाऐंगें।

(vi) जनसहयोग से प्राप्त 40 प्रतिशत राशि मे से 90 प्रतिशत राशि उपयोग में लेने के पश्चात् 60 प्रतिशत राज्यांश की राशि कार्य प्रगति के आधार पर 02 समान किश्तों में भुगतान की जावेगी। प्रत्येक किश्त के दावे के साथ पूर्व में भुगतान की गई राशि के 60 प्रतिशत का उपयोग करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (पैरा 7 [iv] में अंकित समिति से हस्ताक्षरित) संलग्न किया जाएगा।

8. अल्पसंख्यक मंत्रालय के इडमी योजनान्तर्गत लाभान्वित मदरसों को इस योजना का लाभ देय नही होगा।

9. मदरसा जन सहभागिता योजना के लिए इसके अतिरिक्त अन्य दिशा–निर्देश, विद्यालय जन सहभागिता विकास योजना के अनुरूप प्रभावी होंगे।

10. दिशा–निर्देशों से सम्बन्धित सभी स्पष्टीकरण देने हेतु सचिव, मदरसा बोर्ड सक्षम होंगें।

———

परिशिष्ट

1	मदरसें में कक्षा कक्ष का निर्माण कार्य मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूबलाईट सहित)
2	नवाचारों / प्रयोगशाला / पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूबलाईट सहित)
3	मदरसे के कार्यालय कक्ष का निर्माण कार्य मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूबलाईट सहित)
4	बालिका गतिविधि कक्ष मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूबलाईट सहित)
5	कम्प्यूटर कक्ष मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूबलाईट सहित)
6	कला, संस्कृति एवं शिल्प कक्ष निर्माण मय बरामदा, विद्युत फिटिंग (पंखे ट्यूबलाईट सहित)
7	पीने का पानी तथा शौचालय एवं गंदे पानी की निकास की व्यवस्था।
8	खेलकूद सुविधाओं का विकास मय खेल उपकरण।
9	मदरसे व खेल मैदान की चार दिवारी का निर्माण
10	मदरसों में अनुरक्षण एवं आवश्यक मरम्मत संबंधी कार्य।